प्रेस नोट दिनांक 01.08.2026

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 राजकुमार मय हमराह रि0का0 विवेक गौतम, का0 पंकज भारती के मय चालक पीआरडी कमलेश कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, माननीय न्यायालय अपर सिविल वाद संख्या 1839 / 2021 राज्य बनाम रिजवान मु0अ0सं0-39/2000 धारा - 28 ए आर्म एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतागपढ से संबंधित 01 अभियुक्त रिजवान पुत्र मो0 अशफाक उर्फ कल्लन निवासी ग्राम मवई कला थाना कुण्डा जनपद प्रतागपढ़ उम्र 50 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रिजवान पुत्र मो0 अशफाक उर्फ कल्लन निवासी ग्राम मवई कला थाना कुण्डा जनपद प्रतागपढ़ उम्र 50 वर्ष ।

पुलिस टीम -
उ0नि0 राजकुमार मय हमराह रि0का0 विवेक गौतम, का0 पंकज भारती के मय चालक पीआरडी कमलेश कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस को मिली सफलता, चोरी की बकरी बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी की बकरी बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार, एक अन्य नामजद अभियुक्त की तलाश जारी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 30.07.2026 को वादिनी सलमा पत्नी भुल्लन, निवासी कटरा मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ की बकरी एवं बकरा चोरी हो जाने के संबंध में थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 186/2026, धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार सिंह, रि0का0 सत्यम कुमार, रि0का0 सुशील कुमार, म0का0 वंदना चौहान, का0 रामदेव गौतम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भानापुर मोड़ से भानापुर की ओर लगभग 50 मीटर आगे से अभियुक्त शहबाज पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी कटरा मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक लाल रंग की बकरी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपने साथी राजू सोनकर उर्फ सऊदी पुत्र गुलाब सोनकर, निवासी चौकापारपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर बकरी एवं बकरा चोरी करना स्वीकार किया। बरामद बकरी की वादिनी द्वारा पहचान किए जाने के उपरांत उसे सुपुर्द कर दिया गया।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-
शहबाज पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी कटरा मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 28 वर्ष।

वांछित अभियुक्त-
राजू सोनकर उर्फ सऊदी पुत्र गुलाब सोनकर, निवासी चौकापारपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद चोरी की लाल रंग की बकरी।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार सिंह, रि0का0 सत्यम कुमार, रि0का0 सुशील कुमार, म0का0 वंदना चौहान, का0 रामदेव गौतम
थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यवाही: चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा चोरी की टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, अभियोग पंजीकृत कर भेजा गया न्यायालय।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर छोटेगंज तिराहा से एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 01.08.2026 को उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह का0 प्रदीप कुशवाहा, का0 अमित कुमार यादव एवं रि0का0 सूर्य प्रकाश यादव द्वारा रात्रि गश्त एवं वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर छोटेगंज तिराहा पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम घनश्याम पुत्र छंगूराम, निवासी ग्राम पिंजरी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 36 वर्ष बताया। उसके कब्जे से टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल (काले रंग की, नीली पट्टीदार) बरामद हुई, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट UP72DH4471 लगी थी। वाहन के चेसिस नंबर की जांच ई-चालान एप पर करने पर उसका वास्तविक पंजीकरण UP78FD9403 पाया गया। वाहन स्वामी से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोटरसाइकिल लगभग तीन वर्ष पूर्व थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर क्षेत्र से चोरी हो गई थी।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में मोटरसाइकिल चोरी करना एवं पहचान छिपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाना स्वीकार किया गया। इस संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 178/2026, धारा 317(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
घनश्याम पुत्र छंगूराम, निवासी ग्राम पिंजरी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 36 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल (काले रंग की, नीली पट्टीदार)
वास्तविक वाहन संख्या UP78FD9403 (फर्जी नंबर प्लेट UP72DH4471 लगी हुई)

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सुमित सिंह
का0 प्रदीप कुशवाहा
का0 अमित कुमार यादव
रि0का0 सूर्य प्रकाश यादव
थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: थाना पट्टी पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल एवं 02 देशी जिंदा बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल एवं 02 देशी जिंदा बम के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शुभम सिंह मय हमराह का0 सर्वेश कुमार एवं का0 विपिन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर करेला-मंगौरा रोड स्थित पूरे देवजानी तिराहे के पास से 01 अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल एवं 02 देशी जिंदा बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम शमशाद अहमद पुत्र शकील अहमद, निवासी ग्राम कनेवरा (बुधई का पुरवा), थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष बताया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (वाहन संख्या UP72AX8261) तथा 02 अदद देशी जिंदा बम बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने उक्त मोटरसाइकिल लगभग 05 दिन पूर्व जनपद जौनपुर से चोरी की थी तथा उसे बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। साथ ही उसने बताया कि बरामद देशी जिंदा बम वह अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखे हुए था।

जांच के दौरान ई-चालान एप से वाहन का सत्यापन करने पर मोटरसाइकिल के स्वामी गणेश कुमार यादव से संपर्क किया गया, जिन्होंने बताया कि उक्त मोटरसाइकिल दिनांक 26.07.2026 को थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर क्षेत्र से चोरी हुई थी। इस संबंध में मु0अ0सं0 233/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना मुंगराबादशाहपुर पर पंजीकृत होना पाया गया।

इस संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 335/2026 धारा 317(2) बीएनएस एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शमशाद अहमद पुत्र शकील अहमद, निवासी ग्राम कनेवरा (बुधई का पुरवा), थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. अ0सं0 268/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़
2. अ0सं0 137/2024 धारा 411/419/420/465 IPC थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़
3. अ0सं0 140/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
4. अ0सं0 167/2024 धारा 379 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
5. अ0सं0 168/2024 धारा 379 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
6. अ0सं0 335/2026 धारा 317(2) बीएनएसएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-
01 अदद चोरी की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (वाहन संख्या UP72AX8261)
02 अदद देशी जिंदा बम

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शुभम सिंह, का0 सर्वेश कुमार एवं का0 विपिन यादव, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों एवं वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 आकाश कुमार शुक्ला मय हमराह का0 सुजीत यादव, रि0आ0 सूरज कुमार एवं रि0आ0 निखिल प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान मु0नं0 6919/2023, अ0स0 45/2002, धारा 498ए/323/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0 70/2025 (शोभा यादव बनाम प्रमोद यादव), धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित वारण्टी अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र अभयराज यादव, निवासी ग्राम चांदपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गीतानगर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील कुमार यादव एवं का0 ओमप्रकाश पाल द्वारा मु0नं0 19979/2021, अ0स0 30/1994, धारा 457/380/411 भादवि तथा मु0नं0 20022/2021, अ0स0 37/1994, धारा 457/380/411 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त रामलखन पुत्र स्व. श्यामलाल, निवासी ग्राम बैरमपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उनके निवास स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया।

दोनों वारण्टी अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. प्रमोद यादव पुत्र अभयराज यादव, निवासी ग्राम चांदपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष।
2. रामलखन पुत्र स्व. श्यामलाल, निवासी ग्राम बैरमपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 आकाश कुमार शुक्ला, का0 सुजीत यादव, रि0आ0 सूरज कुमार, रि0आ0 निखिल प्रसाद।
उ0नि0 राहुल कुमार, हे0का0 सुनील कुमार यादव, का0 ओमप्रकाश पाल।
थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।